

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत _____ उपखण्ड अधिकारी _____ मुकाम _____ विडावा _____
 इन्द्रपाल _____ बनाम _____ कैलाश वगैरे _____
 नं. _____ 66 सन _____ 2021
 म मुकदमात _____ दावा _____ हुकम या कार्यवाही मय इतिथिल्ला जज _____
 तारीख _____ हुकम _____ नम्बर व तारीख अहकाम को इस हुकम को लागिल म जति हुने।

06/07/2021
 5774
 07/2021

आज यह दावा बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे। तलबी प्रतिवादीगण प्रस्तुत तलवाने पर जरिये नोटिस नकल दावा भेजकर की जावे। मिसल वास्तु तलबी हेतु 07.07.2021 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, विडावा

पत्रावली पेश हुने वकील वादी १५० प्रतिवादीगण
 ०१ एन ०३ की तरफ ले की सोच ताभाडावा
 एडवोकेट के वकालतनामा पेश किया व
 प्रतिवादीगण एन ५०० कोरित नामिल धेक
 हुला हुने व प्रतिवादीगण एन १००३ की
 डेमेरले इकवालीमा जवाब देया पेश किया
 जो शामिल मिलल रहे। पत्रावली पर वकील
 पत्राचारण को सुना गमा बहल के लफी
 तथो व देलीवेला को पढागमा सुनागमा
 तथा पत्राचारण के आपली सहती ले
 जवाब दोपे के अनुवाद भूमि खसतक नं
 ५५०/२६९ २००० ०.०५ हेरे गैर मुकदमा
 आवादी स्थित गाम खुडिया पर ए० वदगब
 तदभिल नियावा मे प्रतिवादीगण एन ०१ एन ०३
 की आवादी ले गाम हल कर ख० नं ५५०/२६९
 २००० ०.०५ हेरे गैर मुकदमा आवादी की घोषणा
 वादीके हकमे कि जाती है। तथा प्रतिवादी एन
 ०५ आदेश दिने जोमे ही की भूमि ख० नं
 ५५०/२६९ २००० ०.०५ हेरे गैर मुकदमा आवादी

कैलाश चन्द
 प्रधान को
 सुन
 इन्द्रपाल
 प्रधान को
 सुन
 महेंद्र सिंह
 सत्यवीर
 प्रधान को
 सुन

उप खण्ड अधिकारी
 विडावा जिला इन्द्रमुनू (राज.)



का रिकॉर्ड सुरक्षा कर प्रतिवादी गण ६० नंबर ०३
के नाम से दखलवादी को उक्त भूमि की रकबावादी
अधिकार दिने जान लवाह दाने निर्णय व डिक्री का
भाग रहेगा व इसी आधार पर राज्य रिकॉर्ड में
अबला दस्तावेज करे व इसी आधार पर डिक्री जारी हो
पतावली में शल शुमाद होकर दाम्बल हो कर की जान
दरखील पत्र हो

उप खण्ड अधिकारी
चिडावा जिला सुन्नु (राज.)